प्राथमिक वनोपज सहकारी संघ मर्या.

.....

जिला .....

उप नियम

(आदर्श उपनियम)

प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित

उपनियम

1. नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र :

इस संस्था का नाम प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित ..... होगा एवं उसका पंजीकृत पता ..... ग्राम ..... डाकघर ..... तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण के ग्राम/ग्रामों तक सीमित रहेगा।

(अ) संस्था के पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की लिखित सूचना ऐसी तब्दीली होने के 30 दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(ब) सोसायटी अपने समस्त कागजातों में अपने रजिस्ट्रेशन क्रमांक कार्यालय का पता और (म.प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) सुवाच्य अक्षरों में सहज दर्शनीय स्थान पर संप्रदर्शित करेगी।

2. परिभाषाएँ-

इन उपनियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. 'अधिनियम से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का सत्रहवां) से होगा।
2. 'जिला संघ' से तात्पर्य जिला वनोपज सहकारी संघ से होगा, जिसकी वह संस्था सदस्य होगी।
3. 'नियम' से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत बने म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 से होगा।
4. 'रजिस्ट्रार' से तात्पर्य उन अधिकारियों से होगा, जिन्हें म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनिमय 1960 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन इस संस्था से संबंधित रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।
5. 'प्रबंध समिति' से तात्पर्य इन उपनियमों के अंतर्गत निर्वाचित अथवा रजिस्ट्रार द्वारा नामांकित प्रबंध समिति से होगा।
6. 'लघु वनोपज' से तात्पर्य म.प्र. शासन, वन विभाग के द्वारा समय-समय पर घोषित उन समस्त वन उत्पादों से है जिनका उल्लेख घोषणा में किया गया हो।
7. 'सदस्य' से तात्पर्य संस्था के उपनियमों के अंतर्गत बनाये गये सदस्यों से होगा।
8. 'सोसायटी' से तात्पर्य .... प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित से होगा।
9. 'वनोपज संघ' से तात्पर्य म.प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से होगा।
10. 'शासन' से तात्पर्य म.प्र. शासन से होगा।

11. 'पोषक अधिकारी' से आशय वन विभाग द्वारा प्राथमिक सोसायटी की प्रबंध समिति में नामांकित व्यक्ति से होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपयोग में लाये गये शब्दों का तात्पर्य अधिनियम एवं नियम के अनुसार होगा।

12. 'कमीशन' से तात्पर्य संस्था द्वारा वनोपज संघ के निर्देशानुसार उनके एजेंट के रूप में किये गये व्यापार पर संघ की ओर से मिलने वाली राशि से होगा।

13. अन्य पिछड़े वर्ग- से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

14. प्रतिनिधि :- से अभिप्रेत है उस सोसायटी का को ऐसा सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करें।

15. अनुसूचित क्षेत्र- से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश-1977 के अधीन घोषित किया गया है।

16. विनिर्दिष्ट पद से अभिप्रेत है कि अध्यक्ष या सभापति का पद।

3. उद्देश्य :

संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

1. वनोपज, विशेषकर लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, क्रय एवं विक्रय, आदि से संबंधित व्यापार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लघु वनोपज संग्रहण में लगे हुए व्यक्तियों को उनके वनोपज संग्रहण का समय पर उचित पारिश्रमिक एवं लाभ दिलाना।
2. शासकीय भूमि से लघु वनोपज का संग्रहण कराना एवं निजी उत्पादकों से लघु वनोपज का क्रय करना।
3. लघु वनोपज के प्रभावी संग्रहण हस्तन, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय तथा उत्पादन में वृद्धि के लिये आवश्यक कार्यक्रम प्रारंभ करना एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करना एवं समुचित मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करना व सदस्यों तक पहुंचाना।
4. वनोपज संघ के माध्यम से लघु वनोपज के अधिक लाभदायी विक्रय विपणन हेतु सदस्यों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
5. सदस्यों को लघु वनोपज संग्रहण हेतु सुझाव देना तथा उनके कार्यान्वयन हेतु सहयोग देना तथा अन्य तकनीकी सेवाएँ सुविधाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी मान्य एजेंसी अथवा वनोपज संघ के माध्यम से उपलब्ध कराना या उसकी व्यवस्था करना। वन उपज एवं अन्य वस्तुओं के विपणन व प्रोत्साहन हेतु सदस्यों को वनोपज संघ द्वारा निर्धारित की गई शर्तों या प्रतिभूति पर नगद या वस्तु के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदाय करना।
6. बैंक, शासन अथवा वनोपज संघ से ऋण प्राप्त करना।
7. वनोपज संघ तथा जिला संघ द्वारा सौंपा गया कार्य उनके निर्देशानुसार सम्पन्न करना।

8. सदस्यों को वनोपज संग्रहण एवं कृषि कार्य के अतिरिक्त उनको खाली समय में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

10. संस्था के व्यवसाय सम्पादन हेतु चल-अचल सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना। किराया अथवा लीज़ पर लेना और संस्था के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाय तो उसका निकाल करना अथवा बेचना।

11. वनोपज को ग्रेडिंग करना, यथासंभव उपभोक्ता के उपयोग के योग्य बनाया एवं इस संबंध में वे सभी कार्यवाही करना जो आवश्यक हो।

12. संस्था किसी भी सहकारी संस्था, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रावधान विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी।

13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करना।

14. ऐसे समस्त कार्य करना, जो उपरोक्त उद्देश्यों के सम्पादन तथा पूर्ति के लिये एवं संस्था के व्यवसाय, विकास एवं प्रगति के लिये प्रासंगिक और सहायक हो।

15. कोसा ककून का संग्रहण, रेशम आयुक्त के अभिकर्ता के रूप में करना।

4. पूंजी एवं निधियां-

1. संस्था के व्यवसाय हेतु पूंजी निम्नानुसार एकत्रित की जावेगी :-

   क. अंश निर्गमन द्वारा,

   ख. सदस्यों से अमानत प्राप्त करके,

   ग. ऋण प्राप्त करके,

   घ. दान/अनुदान प्राप्त करके,

   च. प्रवेश शुल्क

   छ. रक्षित निधि एवं अन्य निधियां

   ज. संघ एवं जिला संघ से प्राप्त राशियां

2. अंशपूंजी- सोसायटी की अधिकृत अंशपूंजी पांच लाख रुपये होगी जिसका विभाजन निम्नानुस,र होगा-

   अ. रु. 1,00,000 के संवर्ग के अंश रु. 10/- प्रति अंश होंगे जो सामान्य सदस्यों को आवंटित किये जावेंगे।

   ब. रु. 4,00,000 के संवर्ग के अंश रु. 100/- प्रति अंश जो राज्य शासन को आवंटित किए जावेंगे। अंश राशि आवेदन के साथ या किश्तों में या अन्य प्रकार से जैसा प्रबंध समिति द्वारा तय हो, देय होगी।

3. संस्था पर कुल ऋण एवं अमानतें, संस्था की प्रदत्त अंशपूंजी, रक्षित निधि एवं अन्य निधियों के योग से संकलित हानि कम करने के पश्चात् शेष राशि के दस गुना होगी।

4. कोई व्यक्तिगत सदस्य कुल अधिकृत अंशपूंजी के पंचमांश से अधिक या 20 हजार रु. से अधिक के अंश नहीं ले सकेगा।

5. सदस्यता :

अ. कोई भी व्यक्ति उस समय ही सदस्य बन सकेगा, जबकि

1. वह समिति के कार्यक्षेत्र अथवा समिति कार्यक्षेत्र से लगे अभ्यारण/राष्ट्रीय उद्यान का स्थायी निवासी हो, आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो एवं अनुबंध करने के लिये सक्षम हो।

2. सदस्य बनने वाले इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा और वह प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। किन्तु संस्था के पंजीयन के मूल आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले इस शर्त से मुक्त रहेंगे।

3. जिसने कम से कम एक अंश लिया हो तथा एक रुपया प्रवेश शुल्क जमा कर दिया हो।

4. जो दिवालिया नहीं हो और वैधानिक योग्यता रखता हो।

5. जो नैतिक अधपतन के लिए दण्डित नहीं किया गया हो। दण्डित होने की दशा में दण्डादेश बीतने की तारीख से 5 वर्ष न बीत गये हो।

6. "जो स्वंय जीविकोपार्जन हेतु लघु वनोपज संग्रहण का कार्य भी करता हो तथा विगत 5 वर्षों की अवधि में कम से कम 3 वर्ष संग्रहित लघु वनोपज समिति को प्रदाय किया हो" । आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विप/वनो./ 2011/1382 दिनांक 9.9.2011 द्वारा संशोधन किया गया है ।

8. संस्था किसी सदस्य के प्रवेश के लिये अवयस्क हो, जो स्वयं लघु वनोपज संग्रहण कार्य करता हो, सदस्य बना सकेगी, परन्तु इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उस अवयस्क के लिये नियुक्त संरक्षक के माध्यम से ही अवयस्क सदस्य वयस्क होने तक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेगा।

9. सोसायटी अपने सदस्यों की एक पूंजी रखेगी जिसका प्रारूप अधिनियम की धारा 33, व नियम 23 के अनुसार होगा।

10. प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार आवेदन पत्रों को स्वीकृत करें या उल्लेखित कारणों से अस्वीकृत करे। अस्वीकृत की दशा में आवेदक 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकेगा।

ब. राज्य शासन

6. दायित्व :

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित होगा।

7. सदस्यता से निष्कासन

संस्था की इस संबंध में आहूत प्रबंध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संस्था का कोई भी सदस्य निम्न कारणों से निष्कासित किया जा सकेगा:

1. यदि वह सतत् रूप से लघु वनोपज का संग्रहण करके संस्था को प्रदाय नहीं करता है।
2. यदि वह असत्य कथन द्वारा संस्था को जान बूझकर धोखा दे रहा है।
3. यदि वह जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जो संस्था व सदस्यों के हितों के विपरीत हो एवं जिससे संस्था की साख को क्षति होने की संभावना है।
4. यदि वह प्रबंध समिति के सुझावों एवं पारित प्रस्तावों की सतत् अवमानना करता हो।
5. यदि वह संस्था के कार्यक्षेत्र में नियमित निवास नहीं करता है एवं सदस्य बनने हेतु योग्यता में से किसी भी योग्यता से वंचित हो जाता है।
6. यदि उसके द्वारा संग्रहित वनोपज या लघु वनोपज जिसका संग्रहम संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रदाय करता है। किन्तु किसी भी सदस्य को निष्कासन से पूर्व उसे प्रबंध समिति का प्रस्ताव अधिनियम की संबंधित धारा 19 (सी) के अनुरूप होगा।
7. निष्कासित सदस्य को संस्था के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं संस्था तथ संबंधित सदस्य के लिये बाध्यकर होगा।
8. अपात्र व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने हेतु संस्था द्वारा निर्णय नहीं लेने पर पंजीयक स्वतः युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर देकर सदस्यता से पृथक करने का आदेश प्रसारित कर सकेगा। सदस्यता से निष्कासित सदस्य की अंश राशि जप्त की जा सकेगी।

8. सदस्यता की समाप्ति

निम्नांकित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होजावेगी, किन्तु सदस्य अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 15 दिन में इस निर्णय की सूचना दी जावेगी -

1. मृत्यु पर।
2. प्रबंध समिति द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकृत किए जाने पर।
3. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को हस्तांतरित हो जाने पर।
4. उप नियम क्रमांक 7 के अनुसार निष्कासित करने पर।

5. यदि उसने उपनियम क्रमांक-5 में वर्णित कोई भी योग्यता खो दी हो।

6. अधिनियम की धारा 19-सी के अनुसार निष्कासित किये जाने पर।

7. यदि सदस्य द्वारा सोसायटी के समान कार्य पृथक रूप से चलाया जाता है। जो संस्था के उद्देश्यों में सम्मिलित हो।

8. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था, सदस्य पर बकाया राशि के समायोजन के उपरान्त, उसको देय राशि का भुगतान एक वर्ष की अवधि में कर देगी, किन्तु वह सदस्यता समाप्त होने पर भी उन सभी ऋणों के लिये देनदार होगा, जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थे।

9. उत्तराधिकारी का नामांकन -

1. संस्था का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात्/उसके अंश/हित या अन्य राशि प्राप्त करने व संस्था को देय ऋण अदायगी हेतु नामांकित कर सकेगा ऐसे नामांकित व्यक्ति की देनदारी उस सीमा तक रहेगी। जिस सीमा तक उसे सदस्य से सम्पत्ति प्राप्त हुई है। सदस्य समय-समय पर नामांकन को रद्द कर सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है। ऐसे नामांकन पर सदस्य को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करने होंगे।

2. सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके अंशों या अन्य जमा राशियों में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके, उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों या ऐसे नामांकन के अभाव में प्रबंध समिति के निर्णयानुसार ऐसा व्यक्ति जो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी हो। उक्त राशि का क्षतिपूरक वचन पत्र (इण्डेमिनिटी बाण्ड) भरने पर भुगतान किया जावेगा।

10. अंश हस्तांतरण

कोई सदस्य एक वर्ष तक अंश धारण के पश्चात् प्रबंध समित की स्वीकृति से अन्य सदस्य/सदस्यों को अंश हस्तांतरण कर सकेगा। लेकिन इस हेतु 15 दिन पूर्व हस्तांतरिती की सहमति के साथ आवेदन करना होगा।

11. सदस्यता से हटना तथा त्याग पत्र देना

1. सदस्य को दो वर्ष तक अंशधारण करने के बाद उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा लेकिन इस हेतु उसे तीन माह पूर्व संस्था को सूचना देनी होगी, किन्तु इस प्रकार वापिस की जाने वाली अंश की राशि गत वर्ष 31 मार्च पर संस्था की कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 1/10 भाग से अधिक नहीं होगी।

2. सदस्य द्वारा प्रबंध समिति को त्याग पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत होने पर वह संस्था से अलग हो सकेगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति संस्था के देय ऋण या अन्य देनदारी दायित्व के चुकारे तक उत्तरदायी रहेगा।

12. अंश प्रमाण-पत्र

सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित तथा आवंटित अंशों के लिये, अंश प्रमाण-पत्र संस्था के मुद्रांक से एवं क्रमवार संख्यायुक्त, जारी किये जावेंगे। अंश प्रमाण-पत्र प्रबंधक तथा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से

हस्ताक्षरित किये जावेंगे।

13. अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि-

अंश प्रमाण-पत्र गुम जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में सदस्यों को उनके द्वारा प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा एक रुपये प्रति अंश के मान से भुगतान करने पर प्रबंध समिति के अनुमोदन से संस्था द्वारा उसकी प्रतिलिपि जारी की जावेगी।

अ. सदस्य को म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 28 के प्रावधानानुसार वर्णित सोसायटी के दस्तावेजों को देखने का अधिकार होगा।

14. साधारण सभा-

अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत साधारण सभा को, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होंगी। संस्था की प्रथम साधारण सभा को, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि वार्षिक साधारण सभा के लिये आगे दर्शाई गई हैं। प्रतिवर्ष गत वार्षिक सम्मेलन के दिनांक से 12 माह के भीतर प्रायः सहकारी वर्ष 31 मार्च की समाप्ति के प्रथम तीन माह में वार्षिक साधारण सभा की जावेगी। सदस्यों एवं जिले के उप सहायक पंजीयक को कम से कम 14 दिन पहले सूचना यू.पी.सी. से भेजी जायेगी। इस सूचना पत्र की प्रति क्षेत्र के ग्राम पंचायत को भी प्रेषित की जावेगी। सूचना पत्र में बैठक की तिथि, स्थान, समय और बैठक में रखे जाने वाले विषयों की सूची रहेगी। इसके साथ ही साधारण सभा की सूचना संस्था के पंजीकृत कार्यालय पर भी लगाई जावेगी। साधारण सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

1. गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. संस्था के वित्तीय लेखे व स्थिति विवरण-पत्रक का अनुमोदन करना। समिति द्वारा गत वर्ष में किये गये कार्यों के प्रतिवेदन तथा व्यवसाय कार्यक्रम पर विचार कर अनुमोदन करना।
3. आगामी वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन करना।
4. बजट पास करना एवं पिछले वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण करना।
5. संस्था की उपविधि अथवा उसके अंतर्गत नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन या निरसन संबंधी प्रस्ताव पारित करके रजिस्ट्रार को अनुमोदनार्थ भेजना।
6. साधारण सभा में प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना।
7. सोसायटी को हुए लाभ वितरण की स्वीकृति देना।
8. अधिनियम, नियम एवं उपनियम की परिसीमा में संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋण एवं अमानतों की अधिकतम सीमा तथा ब्याज दर निश्चित करना।
9. साधारण सभा के कुल सदस्यों के 1/10 अथवा 50 जो भी कम हो के द्वारा गणपूर्ति की जावेगी। यदि साधारण

सभा में नियत समय से आधार घंटे के भीतर गणपूर्ति (कोरम) न हो पाये, तो बैठक अध्यक्ष द्वारा घोषित दिनांक स्थान व समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी तथा स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु उसमें पूर्व प्रसारित विषय सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसी बैठक यदि सदस्यों के आवेदन पर बुलाई गई हो तो वह स्थगित न की जाकर निरस्त कर दी जावेगी।

10. संस्था का अध्यक्ष साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेगा एवं दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी को उस बैठक की अध्यक्षता हेतु नामांकित करेंगे।

11. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। किसी बिन्दु पर बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

12. संस्था को किसी वर्ष में घाटा होने की दशा में संस्था की प्रबंध समिति घाटे के कारणों को संस्था की साधारण आमसभा में प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा परीक्षण कर घाटे की पूर्ति के लिये आवश्यक निर्देश प्रबंध समिति को देगी।

13. साधारण सभा की कार्यवाही उस हेतु रखी गई पंजी में दर्ज की जायेगी तथा उस पर सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

15. प्रबंध समिति-

1. प्रबंध समिति में अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष सहित निम्नानुसार 15 सदस्य होंगे जिसमें से 11 संचालक सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। जिसमें से 2 स्थान महिला संचालकों हेतु आरक्षित रहेंगे। निर्वाचित 11 संचालकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में संचालकों का आरक्षण अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार रहेगा।

2. नामांकित संचालक-

शासन द्वारा गठित ग्राम व समितियों एवं वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों में से-

उक्त दो संचालकों का नामांकन संबंधित वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3. पदेन संचालक

अ. जिला वनोपज सहकारी संघ द्वारा

नामांकित - एक

ब. पंजीयक द्वारा नामांकित - एक

टीप- 1. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में से एक पद महिला सदस्य द्वारा भरा जावेगा।

2. अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत संस्था में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित किया

जावेगा।

16. प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल-

1. प्रबंध समिति का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक के दिनांक से 5 वर्ष का होगा।
2. कोई भी व्यक्ति कोई विनिर्दिष्ट पद अधिनियम के प्रावधानों की सीमा तक धारित कर सकेगा।
3. प्रबंध समिति का कोई निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर कभी भी हट सकता है। परन्तु उसका त्यागपत्र प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से ही लागू होगा।
4. प्रबंध समिति का वो भी सदस्य जो समिति की निरन्तर 3 बैठकों में सूचना प्राप्त होने पर भी प्रबंध समिति की अनुमति प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी प्रबंध समिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

17. प्रबंध समिति के सदस्य की अपात्रता

कोई भी सदस्य प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु अपात्र होगा यदि वह

1. संस्था के व्यापार के अनुरूप व्यापार करता हो।
2. दिवालिया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो।
3. पागल हो गया हो।
4. किसी नैतिक पतन वाले अपराध में दण्डित किया गया हो।
5. संस्था के अधीन किसी ऐसे पद पर ऐसे स्थान पर हो जिसका मेहनताना (वेतन) मिलता हो।
6. यदि कम से कम एक अंश का स्वामी न रहा हो।
7. यदि संचालक मंडल धारा-53 (एक) के तहत अधिक्रमित किया गया है तो संचालक मंडल का कोई भी सदस्य 7 वर्ष के लिये न तो चुनाव ही लड़ सकेगा और न ही उन सदस्यों का उस संस्था में सहयोजन/नामांकन किया जा सकेगा।
8. यदि वह केन्द्र/राज्य शासन सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय संस्था या सहकारी सोसायटी की सेवा से हटाया गया हो।

17. ए. अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को पद से हटाने एवं रिक्तता पूर्ति की प्रणाली

1. समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञान में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् समिति उसे पद धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकेगी। इस प्रकार रिक्त घोषित पद की सूचना समिति जिले के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में पारित आदेश के दिनांक से 7 दिन के अंदर सूचित करेगी।

ब. यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को उल्लेखित कारण हटाने का संयुक्त आवेदन संस्था के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे आवेदन प्राप्ति के सात दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवेदन पर कार्यवाही हेतु उसे पंजीयक को भेजेगा। पंजीयक आवश्यक संतुष्टि के बाद किसी अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो संस्था की प्रबंध समिति की विशेष बैठक अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों को हटाने बाबत् बुलायेगा, जिसमें संचालक मंडल के कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के मत से अध्यक्ष/पदाधिकारियों को सुने जाने के उपरान्त हटाया जा सकेगा परन्तु यदि दो तिहाई सदस्य निर्वाचित अध्यक्ष/पदाधिकारी हटाने के पक्ष में मत नहीं देते हैं तो प्रस्ताव अस्वीकृत माना जावेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जावेगी।

परन्तु इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव ऐसे पदाधिकारी के निर्वाचन के 1 वर्ष के अंदर नहीं कराया जा सकेगा तथा इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को पुनः लाने के लिये 1 वर्ष का अंतराल आवश्यक होगा। समिति के कार्यकाल के छह माह शेष रहने पर प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

स. कंडिका क्रमांक अ एवं ब के अंतर्गत निष्कासित संचालक अथवा हटाये पदाधिकारी के रिक्त हुए पद को पूर्ति यथास्थिति सहयोजन/निर्वाचन द्वारा की जावेगी। सहयोजन/निर्वाचन हेतु विशेष रूप से आहूत बैठक की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। इसके लिये संस्था की समिति ठहराव करके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु निवेदन करेगी जिस पर पंजीयक एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।

18. प्रबंध समिति की बैठक

प्रबंध समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार तथा आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी। परन्तु तीन माह में एक बैठक होना अनिवार्य होगा। किसी कारोबार को निपटाने के लिये कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी। समस्त प्रस्तावों पर निर्णय बहुमत द्वारा किया जावेगा। समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष प्रबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से चुना हुआ व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही इस हेतु रखी गई पंजी में दर्ज की जावेगी एवंउस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे एवं ऐसी कार्यवाही समिति के समस्त आमंत्रित सदस्यों को 30 दिन के अंदर परिचालित की जावेगी।

19. प्रबंध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

1. गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. अपने समस्त कार्यों में अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के प्रावधानों का पालन करना।
3. समस्त मामलातों का दायित्वों से प्राप्त किये गये तथा व्यय किये गये धन तथा समस्त खरीदे एवं बेचे गये माल का सही एवं ठीक हिसाब रखना।

4. सदस्यों का रजिस्टर सही एवं अद्यतन रखना (धारा 33 एवं नियम 23 अनुसार)

5. सदस्यता, त्यागपत्र अंश आवंटन और अंतरण एवं वापसी के आवेदनों का निपटारा करना तथा अंशों की बकाया किश्त की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

6. संस्था के कार्य संचालन हेतु आवश्यक निधियां एकत्रित करना और निधियों के आधिक्य को अधिनियम के प्रावधानानुसार विनियोजित करना।

7. विशिष्ट कार्यों हेतु उप समितियां नियुक्त करना जो दो से अधिक न हो एवं उन्हें आवश्यक कार्य एवं अधिकार प्रदान करना। इस प्रकार नियुक्ति उप समिति में 5 संचालकों से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

8. सहकारी बैंक में या पंजीयक की अनुमति से किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से आवश्यक खाते खोलना एवं नगदी व्यवहार हेतु आवश्यक अधिकार देना।

9. संस्था के लेखों का निरीक्षण करना, रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना एवं अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के किसी व्यक्ति को इसके लिये अधिकृत करना।

10. अधिकारियों के निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण की टिप्पणियों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्यवाही करना।

11. इन उपनियमों के अनुसार व्यापक सम्मेलन बुलाना। साधारण सभा का दिनांक, समय, स्थान एवं विषय सूची निश्चित करना और यह देखना कि वार्षिक साधारण सभा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न होती है।

12. वार्षिक प्रतिवेदन एवं खाते समयावधि में तैयार कराना तथा अध्यक्ष अथवा प्रबंध/समिति के किसी सदस्य को उन्हें प्रकाशित करने हेतु अधिकृत करना और साधारण सभा को लाभ वितरण की सिफारिश करना।

13. संस्था द्वारा दिय गये ऋण एवं लेनदारी की मांग करना। वैधानिक प्रकरणों में प्रतिरक्षण अथवा समझौता करना तथा अन्य शिकायतों को सुनना एवं उनका निराकरण करना।

14. संस्था के सफल संचालन हेतु साधारण सभा के प्रस्ताव, अधिनियम नियम एवं उपनियमों के अनुकूल एवं पंजीयक के अनुमोदन से प्रशासकीय नियम बनाना ऐसे प्रशासकीय नियम प्रबंध समिति की कार्यवाही पुस्तक में अंकित किए जावेंगे एवं साधारण सभा एवं पंजीयक के अनुमोदन के पश्चात् कार्यान्वित किये जावेंगे।

15. सहकारिता विभाग या संघ द्वारा मांगे गये पत्रक एवं अन्य जानकारी समयावधि में प्रस्तुत करना। पंजीयक द्वारा अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर शासकीय कोषालय में तथा पंजीयक के निर्देशानुसार जमा करना।

16. संस्था के उपनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन प्रस्तावित करना।

18. संस्था के व्यवस्थापक से संस्था के मासिक लेखा पत्रक, आय व्यय बिक्री खरीद एवं स्कन्ध आदि की जानकारी प्राप्त करना, उसका निरीक्षण एवं अनुमोदन करना तथा साधारण सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अंतर्गत व्ययों का अनुमोदन करना।

19. संस्था की लेखा पंजी सामान्य स्कंध आदि के लिये विशिष्ट उत्तर दायित्व निर्धारित करना।

20. संस्था की नगद राशि अथवा अन्य वस्तुओं की हानि के विरुद्ध उचित दर पर बीमा पालिसी लेना।

21. वनोपज संघ के निर्देशानुसर वनोपज एवं कृषि उपज आदि की खरीद बिक्री करना, वनोपज संघ के अन्य निर्देशों का पालन करना।

22. संस्था के बकाया अग्रिमों/ऋणों की वसूली हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।

23. जिला वनोपज संघ के प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति से संस्था के प्रबंधक एवं अन्य वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार्य मुक्त करना, निलंबन करना, पृथक करना एवं अन्य विभागीय कार्यवाही करना। लघु वनोपज संघ एवं जिला संघ द्वारा समय-समय पर प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों संबंधी दिये गये सुझावों का पालन करने हेतु संस्था बाध्य होगी। लघु वनोपज संघ/जिला संघ द्वारा प्रशिक्षित कराये गये किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने के पूर्व संघ की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

24. संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा शर्तें एवं योग्यता निर्धारित करना एवं वन विभाग तथा पंजीयक की स्वीकृति उपरान्त इसे लागू करना। और कर्मचारियों के कार्य अधिकारी एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

25. प्रबंध समिति द्वारा संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य संस्थाओं में जिससे कि यह संस्था सम्बद्ध है, प्रतिनिधि भेजने हेतु निर्वाचित करना। परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत संस्था में अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का ही चुना जावेगा।

26. संस्था के सभी कर्मचारियों से (प्रतिभूति पत्र) निष्पादन करवाकर प्राप्त करना और उन्हें सुरक्षित रखना। प्रतिवर्ष यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों की प्रतिभूति चालू है एवं तदाशय का प्रबंध समिति की बैठक में लेख अंकित करना।

27. संस्था के व्यवस्थापन एवं कार्य संपादन में लगने वाली समस्त सामग्री आदि संघ एवं जिला संघ के माध्यम से क्रमय की जावेगी। इसके अतिरिक्त बहुत आवश्यक होने पर प्रबंध समिति को एक समय पर केवल रु. 100/- की सीमा तक स्वीकृति का अधिकार होगा। इससे अधिक राशि के व्यय संबंधी प्रस्ताव किसी व्यय अथवा खरीदी इत्यादि के लिये जिला संघ की पूर्वानुमति/अनुमोदन आवश्यक होगा।

28. अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उन सहकारी संस्थाओं की बैठक में भाग लेने हेतु भेजना, जिसकी संस्था सदस्य है।

29. प्रबंध समिति संस्था के कर्मचारियों एवं फड़मुंशियों को नियुक्त करेगी। महिलाओं को भी फड़मुंशियों के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

30. फड़मुंशियों पर नियंत्रण रखना।

31. उपरोक्त के अतिरिक्त समिति को अधिनियम की धारा 48 (ग) में वर्णित अधिकार भी होंगे। वहिर्गामी संचालक मंडल, आगामी संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु अधिनियम की धारा 49 (8) अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

32. जहां सोसायटी को किसी वित्तीय वर्ष में सोसायटी के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा होता है वहां उसके कारणों को साधारण सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना।

20. अ. अध्यक्ष :

1. संस्था के कामकाज एवं उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के कामकाज पर अध्यक्ष की सामान्य देख-रेख तथा उसका नियंत्रण रखेगा आमसभा तथा प्रबंध समिति की अध्यक्षता करेगा।
2. अध्यक्ष आमसभा तथा प्रबंध समिति द्वारा सौंपे गये दायित्वों को क्रियान्वित करेंगे और विषम परिस्थितियों को छोड़कर अन्य समय में इन अधिकारों, कर्तव्यों को प्रबंध समिति के अनुमोदन से व्यवस्थापक को निश्चित समय के लिये सौंप सकेंगे और इस प्रकार सौंपे गये कार्यों को वापिस ले सकेंगे।
3. जहाँ तक संभव हो शिकायतों का निराकरण करना और ऐसी शिकायतों की अपने जाँच प्रतिवेदन सहित प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

ब. उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संस्था की बैठकों/सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे।
2. वे सभी कार्य जिन्हें प्रबंध समिति समय-समय पर प्रदत्त करें, संपादित करेंगा।

21. व्यवस्थापक

क. जिला वनोपज सलाहकार समिति के परामर्श के व्यवस्थापक की नियुक्ति सोसायटी द्वारा की जावेगी। यह संस्था का पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारी होगा।

ख. व्यवस्थापक के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे-

1. संस्था के कार्य- प्रशासन का उत्तरदायित्व वहन करना। प्रबंध समिति के निर्देशानुसार साधारण सभा एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रबंध समिति की बैठक बुलाना उसमें उपस्थित रहना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही संबंधित पुस्तक में अंकित करना एवं हस्ताक्षर कराना/करना।
2. प्रबंध समिति में वन विभाग द्वारा नामांकित पोषक अधिकारी तथा संस्था के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा पोषक अधिकारी और संस्था के प्रबंध समिति द्वारा निर्देशित अधिकारी/प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से संघ की राशि को चालू खाते में निकालना/राशि वसूल करना व आवश्यक खर्च करना, परंतु संस्था की स्वयं की पंजी के बचत खाते को आहरण हेतु संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना।
3. संस्था को संबोधित सभी पत्र व्यवहार प्राप्त करना एवं संस्था की ओर से उत्तर देना एवं विशिष्ट विषयों पर प्रबंध समिति का ध्यान आकृष्ट करना।
4. संस्था के लिये सभी रसीदें, प्रमाणक, मासिक लेखा, वार्षिक प्रतिवेदन, स्थिति विवरण पत्रक तैयार करना एवं समयावधि में सहकारी विभाग, जिला संघ एवं बैंकों को आवश्यक जानकारी एवं लेखा उपलब्ध करना।

5. संस्था के सामान्य प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार करना, सदस्यों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना एवं विशिष्ट मामलों पर अध्यक्ष की अनुमति से पत्र व्यवहार करना।

6. अंकेक्षण प्रतिवेदन बिना विलम्ब के प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों का त्वरित निराकरण करना एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराकर एक माह में उसे अंकेक्षक/पंजीयक को प्रस्तुत करना।

7. संस्था के अन्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनके कार्य पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना। प्रबंध समिति को उनके कार्यों की जानकारी देना एवं प्रबंध समिति की सहमति से उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना।

8. संस्था की रोकड़ पुस्तक एवं अन्य लेखा पुस्तकों/कार्यवाही किताबों को नियमित रूप से लिखना या लिखवाना तथा उनका पर्यवेक्षण करना एवं हस्ताक्षर करना।

9. संस्था के लिये राशि प्राप्त करना एवं राशि प्राप्त कर रसीद देना एवं संस्था के कार्य हेतु एक समय में रु. 25/- पच्चीस तक व्यय करना।

10. संस्था के दैनंदिन कार्य एवं व्यवसाय का प्रबंध तथा सामान्य संचालन करना एवं पर्यवेक्षण करना।

11. निर्धारित सीमा से अधिक रोकड़ होने पर उसे बैंक में जमा करना।

12. संस्था की राशि वसूली हेतु प्रबंध समिति की सहकारी से वैधानिक प्रकरण तैयार करना।

13. व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति किसी अन्य व्यक्ति को व्यवस्थापक के कार्य हेतु अधिकृत कर सकत है। यदि प्रबंध समिति द्वारा ऐसे अधिकार नहीं दिये गये हो तो दूसरा व्यक्ति, जिसका पारिश्रमिक व्यवस्थापक से कम होगा, व्यवस्थापक के कार्य हेतु उत्तरदायी होगा।

14. अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति, वनोपज संघ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

22–प्रोत्साहन/अवहार (रिबेट) कमीशन –
प्राथमिक वनोपज समिति, जिला वनोपज सहकारी यूनियन/राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ/शासन से प्राप्त कमीशन में से प्रोत्साहन राशि को शासन के द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो/निर्देशों के अनुरूप वितरित/व्यय करेगी ।
आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विप/वनो./ 2011/1032 दिनांक 30.06.2011 द्वारा संशोधन किया गया है ।

23. लाभ का विभाजन

संस्था वर्ष के सकल लाभ में से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्ध लाभ को संगणना करेगी-

1. ऋण/निक्षेपों पर देय ब्याज।
2. संस्था के कार्यशील (संचालन) व्यय।
3. हानियां।
4. भवन एवं अन्य सम्पत्ति पर घसारा।

5. प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत वनोपज संघ, जिला संघ एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित डूबन्त ऋण।

6. संस्था द्वारा लिये गये निर्णय और पंजीयक एवं वनोपज संघ/जिला संघ द्वारा निर्देशित कोई निधि।

7. यदि कोई हो तो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड में योगदान, प्रोत्साहन राशि, बोनस वितरण।

8. पंजीयक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क का भुगतान।

9. उपरोक्त राशियों के समायोजन के पश्चात् शेष राशि को शुद्ध लाभ माना जावेगा।

24. लाभ वितरण

संस्था की साधारण सभा द्वारा शुद्ध लाभ को निम्नानुसार समायोजित किया जावेगा।

1. शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत भाग रक्षित निधि में ले जाया जावेगा।

2. लाभ का 5 प्रतिशत सदस्यों के सामान्य हित निधि में जमा किया जावेगा।

3. संस्था पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को 25 प्रतिशत से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी।

4. अधिनियम की धारा 43 के अनुसार जिला सहकारी संघ को शिक्षा के हित हेतु चन्दा देने में।

5. संस्था द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिये बनाई गई निधियों से भिन्न अन्य निधियों में से किसी निधि का स्थावर सम्पत्ति में विनियोजन पंजीयक के अनुमोदन के बिनानहीं किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त प्रावधानों के पश्चात् शुद्ध लाभ की शेष राशि को सामान्य निधि में ले जाया जायेगा, जिसका उपयोग साधारण सभा के निर्णयानुसार सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक एवं ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास के लिये किया जावेगा।

25. विविध

1. संस्था के हिसाब एवं लेखा पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में ऐसे सुधार एवं परिवर्तन के साथ जो प्रबंध समिति उपयुक्त समझे, रखे जावेंगे।

2. संस्था का कोई भी सदस्य कार्यालयीन समय में अपने व्यवसाय से संबंधित कोई भी पंजी या लेखे का परीक्षण कर सकेगा।

3. अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति का एक या अधिक सदस्य और व्यवस्थापक जैसा कि प्रबंध समिति अधिकृत करेगी को संयुक्त रूप से संस्था की ओर से अभिलेख निष्पादन रसीद देने अंश प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने, बैंक से व्यवहार कर का अधिकार होगा, जबकि रसीद समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी।

4. किसी भी सदस्य को निर्वहन की जाने वाली सूचना विशेष वाहक अथवा पंजीकृत पते पर निर्धारित रीति से अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट से भेजी जावेगी।

5. संस्था, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ जिला वनोपज संघ एवं अन्य ऐसी संस्थाओं से जो कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी हो, सम्बद्ध होगी।

6. रक्षित निधि एवं अन्य निधियाँ पूर्णतः संस्था की होगी और अविभाज्य होगी। परिसमापन पर रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का उपयोग अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार किया जावेगा।

7. इन उपनियमों में जिसका समावेश नहीं हुआ है उन सभी बातों की अधिनियम तथा नियम के प्रावधान के अनुसार व्याख्या करते हुए उनका निराकरण होगा।

8. संस्था के प्रबंध समिति का चुनाव सहकारी अधिनियम तथा पंजीयक द्वारा निर्देशित पद्धति से किया जावेगा।

9. इन उपनियमों की व्याख्या में कोई मतभेद होने की दशा में पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को बंधनकारक होगा।

10. संस्था में संस्था के गठन प्रबंध या कारोबार के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकती है।

11. संस्था ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रसर करना हो तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय नहीं करेगी।